Helpline No.:-(+91)-7597122440

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141-2850551–75

शिक्षाशास्त्री (द्विवर्षीय) एवं शास्त्री शिक्षाशास्त्री (चार वर्षीय) पाठ्यक्रम में सत्र 2019–20 में प्रवेश हेतु द्वितीय काउन्सलिंग आयोजन की सूचना

विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षाशास्त्री (द्विवर्षीय) एवं शास्त्री शिक्षाशास्त्री (चार वर्षीय) पाठ्यक्रम सत्र 2019–20 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन द्वितीय काउन्सलिंग हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार जारी किया जा रहा है–

1.	रजिस्ट्रेशन शुल्क	–	राशि रूपये 5000 / –
2.	ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराने की तिथि	–	दिनांक 11.09.2019 से 21.09.2019
3.	महाविद्यालयों का चयन	–	दिनांक 11.09.2019 से 22.09.2019
4.	महाविद्यालय आवंटन की सूचना	–	दिनांक 24.09.2019
5	पाठ्यक्रम शुल्क जमा कराने की दिनांक	–	दिनांक 24.09.2019 से 28.09.2019
6.	आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग की दिनांक	–	दिनांक 24.09.2019 से 28.09.2019
7.	अपवर्ड मूवमेन्ट चयन की दिनांक	–	दिनांक 30.09.2019
8.	अपवर्ड मूवमेन्ट पश्चात् महाविद्यालय आवंटन की दिनांक	–	दिनांक 02.10.2019
9	अपवर्ड मूवमेन्ट के पश्चात् महाविद्यालय में रिपोर्टिंग की दिनांक	–	दिनांक 02.10.2019 से 05.10.2019
10.	शिक्षाशास्त्री एवं शास्त्री शिक्षाशास्त्रीं पाठ्यक्रम शुल्क	–	राशि रूपये 21930 / –

नोट– 1. पाठ्यक्रम शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया गया है, इसमें वृद्धि एवं अन्य प्राप्त निर्देशों की अनुपालना अभ्यर्थी को करनी होगी।

ऑनलाईन काउन्सलिंग हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार है–

1. परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी शिक्षाशास्त्री एवं शास्त्री शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वेबसाइट **http://jrrsupsst.org** से अपना लॉग इन करने के पश्चात् बैंक चालान प्रिन्ट कर बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी भी शाखा में रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाने के बाद बैंक द्वारा ट्रांजक्शन आई.डी. नम्बर दिया जायेगा। ऑनलाइन काउन्सलिंग हेतु वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने दिनांक 21.09.2019 तक अपना रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराया है। अतः अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन दिनांक 21.09.2019 तक अनिवार्य रूप से करा लें।
2. अभ्यर्थी चालान द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाने के 24 घण्टे पश्चात् या अगले दिन पुनः इन्टरनेट पर जाकर अपना लॉग इन करें। बैंक द्वारा चालान पर दिया गया ट्रांजक्शन आई.डी. नम्बर की सूचना व वैबसाइट पर दिखाई गई अन्य सूचनाओं की पूर्ति करने के पश्चात् अपनी पसन्द के महाविद्यालयों का चयन प्राथमिकता / वरीयतानुसार करें। महाविद्यालय चयन हेतु विकल्प देने की कोई सीमा नहीं है अतः प्रवेश पाने हेतु अधिकतम विकल्पों का चयन करें। सीमित विकल्प देने पर उन्हें उनकी वरीयता क्रम के अनुसार महाविद्यालय का आवंटन नहीं हुआ तो उन्हें इस हेतु आगे अवसर नहीं दिया जायेगा। अतः अभ्यर्थी अधिक से अधिक महाविद्यालयों का चयन अपनी प्राथमिकता / वरीयतानुसार दें। चयनित महाविद्यालयों की सूची को लॉक करने के पश्चात् उसका प्रिन्ट अपने पास सुरक्षित रखें। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसके द्वारा लिये गये विषय उक्त महाविद्यालयों में अध्ययन के लिए उपलब्ध होने चाहिए। आवेदन पत्र अथवा पंजीयन के समय अभ्यर्थी द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थी को आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि को अभ्यर्थी के पास नियमानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र / अंकतालिका तथा अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।
3. महाविद्यालय में उपस्थिति के समय अभ्यर्थी को अपने द्वारा जमा पाठ्यक्रम शुल्क राशि रूपये 21,930 / – का बैंक चालान तथा समस्त मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति, दिव्यांगता, सैनिक,

आश्रित, विधवा/विवाह–विच्छिन्न आदि के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे तथा साथ ही इन सभी की दो सत्यापित प्रतियां एवं दो फोटो ले जाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना के आधार पर महाविद्यालय आवंटन उपरान्त महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो इसकी जानकारी प्राप्त होने पर उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा। आवंटित महाविद्यालयों में परिवर्तन तथा पारस्परिक परिवर्तन किसी भी स्थिति में संभव नहीं होगा।

4. यदि किसी अभ्यर्थी ने महाविद्यालय का आवंटन होने के पश्चात् यदि उसमें प्रवेश नहीं लिया तो यदि भविष्य में काउन्सलिंग होगी तो उसे सम्मिलित करने/न करने के निर्णय का अधिकार विश्वविद्यालय का होगा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों में विश्वविद्यालय द्वारा अन्त में विचार किया जावेगा।
5. शिक्षाशास्त्री एवं शास्त्री शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में कुल रिक्त स्थानों में से 70 प्रतिशत स्थान पारम्परिक धारा के छात्रों हेतु तथा 30 प्रतिशत स्थान आधुनिक धारा के छात्रों हेतु आरक्षित हैं। प्रवेश हेतु राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षित वर्ग को आरक्षण देय होगा।
6. किसी भी वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

अपवर्ड मूवमेन्टः–

आवंटित महाविद्यालय में नॉन–रिपोर्टिंग के कारण यदि कोई सीट रिक्त रहती है तो कॉउन्सिलिंग के प्रथम चरण के माध्यम से प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी अर्थात् जिन्होंने निर्धारित तिथी तक आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग कर प्रवेश प्राप्त कर लिया है तथा निर्धारित तिथी तक ऑनलाईन उपलब्ध सुविधा अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु अपनी सहमति हाँ (Yes) का ऑप्शन देते हैं तो उनको उनके द्वारा पूर्व में महाविद्यालय चयन हेतु दिये गये वरीयताक्रम ऑप्शन अनुसार तथा मेरिट अनुसार महाविद्यालय में उपलब्ध रिक्त स्थान पर अपवर्ड मूवमेन्ट किया जायेगा। ध्यान रहे इस सुविधा हेतु केवल ऐसे अभ्यर्थी ही पात्र होंगे जिन्होंने निर्धारित समयावधि तक आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग कर दी हो तथा अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु निर्धारित तिथी तक अपनी सहमति हाँ (Yes) का ऑप्शन ऑनलाईन दिया हो।

विशेषः– अपवर्ड मूवमेन्ट में अभ्यर्थी को आवंटित महाविद्यालय के पूर्व के विकल्पों में रिक्त सीट होने पर मेरिट एवं उसकी केटेगरी के आधार पर ही महाविद्यालय अपवर्ड किया जाता है। अपवर्ड मूवमेन्ट प्रक्रिया के तहत यदि किसी अभ्यर्थी को नवीन महाविद्यालय आवंटित होता है तो उसे निर्धारित दिनांक तक नवीन आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करनी होगी। यदि अभ्यर्थी नवीन आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं करता है तो उसका नवीन आवंटित महाविद्यालय एवं पूर्व रिपोर्टेड महाविद्यालय दोनों महाविद्यालयों से प्रवेश निरस्त हो जायेगा, ऐसे अभ्यर्थी अपने प्रवेश के अधिकार खो देगें तथा प्रतिक्षारत अभ्यर्थियों को उक्त महाविद्यालय आवंटित कर दिये जायेगें।

अभ्यर्थी को उसके द्वारा दिये गये विकल्पों के आधार पर या अपवर्ड मूवमेन्ट के पश्चात् महाविद्यालय आवंटित होने के पश्चात् किसी भी स्तर पर उसके महाविद्यालय को परिवर्तित/पारस्परिक स्थानान्तरण/स्थानान्तरण (College Change/ College Transfer/ Mutual College Transfer) किसी भी स्थिति में पीएसएसटी कार्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अपने विकल्प पूर्ण रूप से सोच समझ कर ही दें तथा अपने द्वारा दिये गये विकल्पों को अच्छी तरह से जाँच करने के पश्चात् ही लॉक करें। इस संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी गलती होने का हवाला जैसे कि साईबर कैफे वाले ने गलत भर दिया, ई–मित्र कियोस्क वाले ने गलत भर दिया आदि स्वीकार्य नहीं होगा। दिये गये विकल्पों को लॉक करने के पश्चात् एक प्रिन्टआउट अपने पास सुरक्षित रख लें। महाविद्यालय के स्थानान्तरण के संबंध में कोई भी पत्राचार, ईमेल, दूरभाष आदि पर सम्पर्क न करें।

यदि महाविद्यालय ऑप्शन देने के बाद अभ्यर्थी इसे लॉक करना चाहे तो उपर्युक्त समयावधि में लॉक कर सकता है अथवा अंतिम तिथि के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विकल्प स्वतः ही लॉक हो जायेंगे।

Helpline No.:-(+91)-7597122440
जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज०) - 302026
वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in *ई–मेल - jrrsu@yahoo.com* टेलीफैक्सः 0141-2850551-75

जो अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में शुल्क जमा करवाने के पश्चात् महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करने में असमर्थ रहेंगे उन अभ्यर्थियों का प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

नोटः– उच्च वरियता प्राप्त अभ्यर्थी द्वारा सीमित महाविद्यालयों के विकल्प चयन करने के कारण वांछित महाविद्यालय आवंटित नहीं हो पाता है जबकि कम वरियता प्राप्त अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों के अधिक विकल्प देने के कारण महाविद्यालय आवंटित हो जाता है। अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे सोच समझ कर अधिक से अधिक महाविद्यालयों का विकल्प दें।

कुलसचिव
एवं
समन्वयक, पीएसएसटी तथा
पीएसएसएसटी–2019